BIS/DGO **(445)/2016**
Dated: **13 June 2016**

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Establishment Department)

OFFICE ORDER

Subject: **Appointment of Authorized Medical Attendants (AMAs) under CSMA Rules and delegation of powers for appointment of AMAs**

Under BIS (Terms & Conditions of Service of Employees) Regulations, 2007, BIS employees and Pensioners/Family Pensioners are entitled to medical benefits under Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944 (CSMA Rules), as given below:

i) **As per Regulation 17 (2) (a):** BIS employees, who are not covered under CGHS; and

ii) **As per Regulation 17 (3)**: Pensioners/Family Pensioners of BIS
*(**Note**: The BIS Pensioners/Family Pensioners, who are residing in Delhi and NCR, are now extended CGHS facilities. Therefore, they are entitled to avail medical facilities under CGHS only).*

2. In this connection, the following is brought to the notice of all the concerned:

i) Under CSMA Rules, the beneficiaries may avail medical attendance from the Authorized Medical Attendants (AMAs) also;

ii) CSMA Rules inter-alia contemplate following three categories of AMAs:

a) Medical Officers under the employ of the Central Govt;

b) Medical Officers in the employ of the State Govt or UTs; and

c) Medical Officers who are not employees of the Central Govt.

iii) As per para (ii) (c) above, a Private Medical Practitioner may also be an AMA, to be appointed by the HODs in relation to the persons under their employ;

iv) The Private Medical Practitioner means a Registered Medical Practitioner (RMP) qualified in the modern system of medicine holding a qualification recognized under the Indian Medical Council Act, 1956; and

v) The services of the Private Medical Practitioner may be obtained as AMA because of the remoteness of the area in which the patient lives or where adequate number of doctors in the employ of the Central Govt. or the concerned State Government or UT Admn. is not available.

3. HODs may appoint private RMP as an AMA in respect of their employees, as under:

i) From among the panel of AMAs appointed by the Chairman, Central Govt. Employees Coordinating Committee (CGEWCC) wherever set up by GOI, Min. of Health & Family Welfare; and

ii) Any private registered medical practitioner (RMP), wherever the CGEWCC is not functioning. Such Private Medical Practitioner(s) may be appointed as AMA after obtaining their willingness and with the stipulation that they will follow strictly the rules and orders issued for them under the CSMA Rules which inter-alia would include Appointment & Condition, Instructions to Doctors (appointed as AMAs), verification of antecedents, Choice of AMA by the Govt. servant, etc.

NOTE: CGEWCC is functioning in maximum State-capital cities where BIS offices exist except Delhi & Patna. Besides, CGEWCC is also not functioning in certain cities where BIS offices exist such as Ghaziabad, Mohali, Parwanoo, Jamshedpur, Raipur, Durgapur and Rajkot

4. In view to resolve the difficulties being faced by the BIS employees / Pensioners / Family Pensioners, in availing medical attendance, the following has been decided:

i) BIS employees; Pensioners; and Family Pensioners, who are entitled to availing medical facilities under CSMA Rules, may avail the facility of appointing one private RMP of their choice as AMA for availing medical attendance for themselves and their family members. The AMA shall be **either** from the panel made by CGEWCC, wherever it exists **or** any private RMP, where the CGEWCC is not functioning (See Note under para 3 above);

ii) Henceforth, the powers have been delegated to the following authorities to appoint the AMAs in respect of BIS employees/pensioners/family pensioners:

A) In respect of BIS employees:

Sl. No.	Category of Officers/Employees	Authority to which powers delegated
i)	All the DDGs posted at HQ/NITS/ ROs/Labs	ADG **or** as may be decided by the Competent Authority
ii)	All the employees posted at BISHQ/NITS: (upto the level of Director / Sc. F)	DDGA
iii)	All the employees posted in BIS ROs/ RO Labs and in respect of Heads of BOs & Heads of Labs, under that region	DDGR concerned
iv)	All the employees posted in BIS BOs/ Sub-BOs / BO-Labs / Central Lab.	HOD of the concerned BOs/ Sub-BOs / BO-Labs / Central Lab

B) In respect of BIS Pensioners/Family Pensioners:

Sl. No.	Category of Pensioners/Family Pensioners	Authority to which powers delegated
i)	The Pensioners/Family Pensioners, residing in Delhi/NCR areas, **not covered under CGHS**	DDGF
ii)	All the Pensioners/Family Pensioners, residing in the areas covered under any BIS Regional Office / Regional Office (Lab)	DDGR Concerned
iii)	All the Pensioners/Family Pensioners, residing in the areas covered under any BIS Branch/Sub-Branch Office / Branch Office (Lab)	Head of the concerned BO/Sub-BOs

iii) The concerned beneficiaries will have to apply to the following authorities, for appointing AMA:

A) Concerned BIS employees:

a) Establishment Department: Group A Officers (other than scientific cadre) & all the Group B, C & D employees posted at BIS HQ / NITS;

b) HRD Department - Scientific Officers posted at BISHQ, New Delhi/NITS and all the DDGs;

c) DD (A&F) or AD (A&F) posted in DDG (R)'s Sectt. – Officers & staff posted in that regional office and Heads of BOs & Heads of Labs, under that region; and

d) Heads of BOs/ Sub-BOs / **Labs -** Officers & staff posted in the concerned BO/ Sub-BO / BO-Lab/ Central Lab.

B) All the concerned BIS Pensioners/Family Pensioners:

i) **DF, Finance Deptt. at BISHQ**: The Pensioners / Family Pensioners residing in Delhi / NCR areas, who are not covered under CGHS, if any;

ii) **DD (A&F) or AD (A&F) posted in DDG(R)'s Sectt**.: The Pensioners / Family Pensioners residing in the areas covered under that Region; and

iii) **Head of Branch/Sub-Branch Office**: The Pensioners / Family Pensioners residing in the areas covered under that Branch/Sub-Branch.

5. All the such authorities are required to exercise the delegated powers by strictly adhering to the general guidelines laid down in CSMA Rules to appoint private RMPs as AMAs, from among the list of the AMAs appointed by CGEWCC only **or** any private RMP wherever the CGEWCC is not existing, on the request of the concerned employee/pensioner/family pensioner;

6. All the related formalities such as obtaining willingness of the RMP of the choice; verification of antecedents of the RMP; etc. shall have to be pursued by the concerned officer / employee/Pensioner/Family Pensioner, himself; and

7. Finally, the Certificate of appointment of AMAs shall be issued by the concerned authority in the Format given in the enclosed ***Annexure*** and proper records maintained thereof. The name of dependent beneficiaries shall be included in the certificate after obtaining "Undertaking of Dependency" from the concerned employee/pensioner/family pensioner. The authorities shall also apply a round seal on the photograph of each beneficiary mentioned in the Certificate. The specimen of the round seal is given below;

Dia : One inch

5. This issues with the approval of DG-BIS.

Sd/-
(N. Ravi Shankar)
Director (Establishment)

Enclosed: Annexure

Our Ref: Estt. I/29:2/2/2015

Circulated**:** For information of all the BIS Officers / Employees / Pensioners / Family Pensioners through BIS Intranet and BIS Website

----

ANNEXURE

(to be issued on letter head of BIS)

Our Ref.:………………… Dated: …………….

With reference to his/her application dated ………………….. Shri/Smt. ………………………………, (…….designation) Employee/**PPO No.** …..…………… is informed that the following Private Registered Medical Practitioner has been appointed by the Competent Authority as AMA for availing medical attendance in respect of himself/herself and his/her dependent family members during the year ……………..; as per the given details:

I – DETAILS OF THE AMA(s) APPOINTED		
Sl. No.	Name & Regn. No. of the Doctor	Address of the AMA
1.		
II - SERVICE DETAILS OF THE EMPLOYEE/**PENSIONER**		
1.	Details of **last pay / pension** drawn and Ward Entitlement (whether General / Semi Pvt. / Private)	Pay in Pay Band : PB-2/ Rs. Grade Pay : Rs. Total basic pay : Rs. **Pension drawn : Rs.** Ward Entitlement :
2.	Present residential address (Non-CGHS)	

III - FAMILY DETAILS OF THE EMPLOYEE/PENSIONER/FAMILY PENSIONER			
Sl. No.	Name employee/pensioner/family pensioner & dependent family members	Date of birth	Relationship with the employee/pensioner/family pensioner
1.			**Self**
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

AFFIX STAMP-SIZE PHOTOGRAPH OF FAMILY MEMBERS IN THE GIVEN BOXES AS PER SL. NO. OF THEIR NAME(S) IN THE FAMILY DETAILS

PHOTOGRAPH (self)	**PHOTOGRAPH (dependent family member)**	**PHOTOGRAPH (dependent family member)**	**PHOTOGRAPH (dependent family member)**	**PHOTOGRAPH (dependent family member)**	**PHOTOGRAPH (dependent family member)**

2. Re-imbursement of the expenditure incurred on the treatment/test(s) will be made to him/her as per the rates approved under CSMA Rules, by Government from time to time.

Signature

(Name & Designation with seal of issuing officer)

Shri/Smt. ………………………. (Through HOD concerned)

Employee /**PPO** No. …………………..

(…………………………………Designation):

*BIS Directorate General/RO/BO/Sub-BO/CL/NITS/Lab

*New Delhi/ Station (*To be mentioned as the case may be)

Copy to: (i) **The concerned AMA –** It is requested to verify the identity of the beneficiary before providing treatment.

(ii) **DAC/DF** - For information (only in respect of officers / employees posted at BISHQ/CL/NITS)

Signature

(Name & Designation with seal of issuing officer)

बीआईएस/डीजीओ **(445)/2016**

दिनांक : **13 जून 2016**

भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

कार्यालय आदेश

विषय : सी.एस.एम.ए. के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.) की नियुक्ति तथा ए.एम.ए. की नियुक्ति के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

बी॰आई॰एस॰ कर्मचारियों व पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को बी॰आई॰एस॰ (कर्मचारियों की सेवा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2007 के अंतर्गत, केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 (सी॰एस॰एम॰ए॰ नियम) के अधीन चिकित्सा सुविधाएं निम्न प्रकार उपलब्ध हैं :

i) **विनियम 17 (2) (a) के अनुसार :** बी॰आई॰एस॰ कर्मचारी, जो सी॰जी॰एच॰एस॰ के तहत नहीं आते हैं; और

ii) **विनियम 17 (3) के अनुसार** : बी॰आई॰एस॰ पेंशनर व परिवार पेंशनर

(**नोट :** बी॰आई॰एस॰ पेंशनर/परिवार पेंशनर जो दिल्ली व एन॰सी॰आर॰ में रह रहे हैं, उन्हें अब सी॰जी॰एच॰एस॰ सुविधा विस्तारित हैं, इसलिए, वे केवल सी॰जी॰एच॰एस॰ के अंतर्गत ही चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार हैं।)

2. इस संबंध में, निम्न तथ्य सभी संबन्धित पक्षों के ध्यान में लाए जाते हैं :-

i) सी॰एस॰एम॰ए॰ नियमों के अंतर्गत, लाभार्थी अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए॰एम॰ए॰) से भी चिकित्सीय परिचर्या पा सकते हैं;

ii) सी॰एस॰एम॰ए॰ नियमों के अंतर्गत ए॰एम॰ए॰ की निम्न तीन श्रेणियाँ आती हैं :

a) केन्द्रीय सरकार की सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी;

b) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी; और

c) चिकित्सा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी न हों।

iii) उपरलिखित पैरा (ii) (ग) के अनुसार, विभागीय प्रमुखों द्वारा उनकी सेवा के तहत नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में, नियुक्त किए जाने वाला एक निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर भी ए॰एम॰ए॰ हो सकता है;

iv) निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर का अर्थ एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर॰एम॰पी॰) से है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखते हुए चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली में योग्य हो;

v) निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएँ ए॰एम॰ए॰ के तौर पर वहाँ प्राप्त की जा सकती हैं जहां रोगी दूर-दराज के क्षेत्र में रहता है या जहां केंद्र सरकार अथवा संबन्धित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सेवा में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है।

3. विभागीय प्रमुख अपने कर्मचारियों के संबंध में निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक ए॰एम॰ए॰ के तौर पर निम्न प्रकार नियुक्त कर सकते हैं :

i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र सरकार कर्मचारी समन्वय समिति (सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰) के चेयरमेन द्वारा नियुक्त किए गए ए॰एम॰ए॰ के पैनल में से; और

ii) कोई भी निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर॰एम॰पी॰), जहां सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ कार्यरत नहीं है। ऐसे निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर॰एम॰पी॰) ए॰एम॰ए॰ के तौर पर उनकी स्वेच्छा प्राप्त करने के पश्चात व इस शर्त के साथ कि वे सी॰एस॰एम॰ए॰ नियमों के अंतर्गत उनके लिए जारी किए नियमों व आदेशों, जिसमें केंद्र सरकार कर्मचारी द्वारा ए॰एम॰ए॰ की नियुक्ति एवं शर्तें, डॉक्टरों हेतु निर्देशों (ए॰एम॰ए॰ के तौर पर नियुक्त), पूर्ववर्ती के सत्यापन, पसंदीदा ए॰एम॰ए॰, आदि शामिल हैं, का सख्ती से पालन करेंगे।

नोट : सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰, अधिकतर राज्य-राजधानी शहर (दिल्ली व पटना को छोड़कर), जहां बी॰आई॰एस॰ कार्यालय स्थित हैं, में कार्यरत है। हालांकि, सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ कुछ शहरों, जहां बी॰आई॰एस॰ कार्यालय मौजूद हैं जैसे गाज़ियाबाद, मोहाली, परवानू, जमशेदपुर, रायपुर, दुर्गापुर और राजकोट, में भी कार्यरत नहीं है।

4. चिकित्सीय परिचर्या प्राप्त करने में बी.आई.एस. कर्मचारियों/पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

i) बी.आई.एस. कर्मचारी; पेंशनर; और परिवार पेंशनर, जो सी.एस.एम.ए. नियमों के तहत चिकित्सीय सुविधाएं पाते हैं, वे अपने व अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सीय परिचर्या प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के एक निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) को ए.एम.ए. के तौर पर नियुक्त कराने की सुविधा पा सकते हैं। ए.एम.ए. **या** तो सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. द्वारा बनाए पैनल में से होगा, जहां सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. मौजूद है **अथवा** कोई भी निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) होगा, जहां सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. कार्यरत न हो। (उपरलिखित पैरा 3 के अंतर्गत नोट को देखें);

ii) इस समय से, बी.आई.एस. कर्मचारियों; पेंशनरों; और परिवार पेंशनरों के संबंध में ए.एम.ए. की नियुक्तियों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है :

क) बी.आई.एस. कर्मचारियों के संबंध में :

क्रम संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी	प्राधिकारी जिनको शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है
i)	मुख्यालय/एनआईटीएस/क्षे.का./प्रयोगशालाओं में तैनात सभी उपमहानिदेशक	अपर महानिदेशक **या** सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार
ii)	मुख्यालय/एनआईटीएस में तैनात सभी कर्मचारी : (निदेशक/वैज्ञानिक 'एफ़' के स्तर तक)	उप महानिदेशक (प्रशासन)
iii)	बी.आई.एस. क्षे.का./क्षे.का.प्रयो. में तैनात सभी कर्मचारियों और उस क्षेत्र के अंतर्गत शा.का. प्रमुखों व प्रयोगशालाओं प्रमुखों के संबंध में	संबन्धित उप महानिदेशक
iv)	बी.आई.एस. शा.का./उप-शा.का./शा.का. प्रयो./केंद्रीय प्रयो. में तैनात सभी कर्मचारी	संबन्धित शा.का./ उप-शा. का./ शा. का. प्रयो./केंद्रीय प्रयो. के विभागीय प्रमुख

ख) बी.आई.एस. पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के संबंध में :

क्रम संख्या	पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की श्रेणी	प्राधिकारी जिनको शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है
i)	दिल्ली/एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनरों/परिवार पेंशनरों, **जो सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत नहीं आते हैं, यदि कोई हो।**	उप महानिदेशक(वित्त)
ii)	बी.आई.एस. के किसी भी क्षे.का./क्षे.का.(प्रयो.) के तहत आने वाले क्षेत्रों में रह रहे सभी पेंशनर/परिवार पेंशनर	संबन्धित उप महानिदेशक
iii)	बी.आई.एस. के किसी भी शा.का./उप-शा.का./शा.का. (प्रयो.) के तहत आने वाले क्षेत्रों में रह रहे सभी पेंशनर/परिवार पेंशनर	संबन्धित शाखा /उप शाखा कार्यालय प्रमुख

iii) संबन्धित लाभार्थियों को ए.एम.ए. नियुक्त कराने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारियों को आवेदन करना होगा :

क) संबन्धित बी.आई.एस. कर्मचारी :

i) **स्थापना विभाग :** वर्ग क अधिकारी (वैज्ञानिक काडर के अतिरिक्त) व बी.आई.एस. मुख्यालय/एन.आई.टी.एस. में तैनात वर्ग ख, ग तथा घ के सभी कर्मचारी;

ii) **मानव संसाधन विकास विभाग :** बी.आई.एस. मुख्यालय, नई दिल्ली /एन.आई.टी.एस. में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी तथा सभी उपमहानिदेशक;

iii) क्षेत्रीय उपमहानिदेशक सचिवालयों में तैनात **उप निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) अथवा सहायक निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) :** उस क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात अधिकारी व स्टाफ तथा उस क्षेत्र के अधीन शा.का. प्रमुख एवं शा.का. प्रयोगशाला प्रमुख।

iv) **शा.का./उप शा.का./प्रयो. के प्रमुख :** संबन्धित शा.का./उप शा.का./ शा.का.-प्रयो./केंद्रीय प्रयोगशाला में तैनात अधिकारी व स्टाफ।

ख) **सभी संबन्धित बी.आई.एस. पेंशनर/परिवार पेंशनर :**

i) **बी.आई.एस. मुख्यालय में निदेशक (वित्त), वित्त विभाग** : दिल्ली/एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनर/परिवार पेंशनर, जो सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत नहीं आते हैं, यदि कोई हो;

ii) **क्षेत्रीय उपमहानिदेशक सचिवालयों में तैनात उप निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) अथवा सहायक निदेशक (प्रशा. एवं वित्त** : उस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर/परिवार पेंशनर; और

iii) **शाखा/उपशाखा कार्यालयों के प्रमुख** : उस शाखा/उपशाखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर/परिवार पेंशनर।

5. सभी प्राधिकारियों को, जिन्हें शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, संबन्धित कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर के अनुरोध पर, केवल सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. द्वारा नियुक्त ए.एम.ए. की लिस्ट में से निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) को **या** किसी भी निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) को, जहां सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. कार्यरत नहीं है, ए.एम.ए. नियुक्त करने हेतु सी.एस.एम.ए. नियमों में निर्धारित सामान्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

6. सभी संबन्धित औपचारिकताओं की पूर्ति, जैसे पसंदीदा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) की स्वेच्छा प्राप्त करने; आर.एम.पी. का पूर्ववृत का सत्यापन, आदि, संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर, द्वारा स्वयं ही करनी होंगी।

7. अंतत:, ए.एम.ए. की नियुक्ति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप में जारी किया जाएगा तथा उसका उचित रेकॉर्ड रखना होगा। प्रमाण पत्र में आश्रित लाभार्थियों के नाम, संबन्धित कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर से "निर्भरता का वचन पत्र" लेने के बाद ही शामिल किए जाएंगे। प्राधिकारी, प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रत्येक लाभार्थी के फोटो के ऊपर एक गोल मुहर भी लगायेंगे। गोल मुहर का नमूना नीचे दिया गया है :

भारतीय मानक ब्यूरो ★ BUREAU OF INDIAN STANDARDS ★ ← व्यास : एक इंच

8. यह बी.आई.एस. महानिदेशक के अनुमोदन से जारी है।

हस्ता/-
(एन. रवि शंकर)
निदेशक (स्थापना)

संलग्न : अनुलग्नक

हमारा संदर्भ : स्था-I/29:2/2/2015

परिचालित : भारतीय मानक ब्यूरो की वैबसाइट व बी.आई.एस. इंट्रानेट के जरिये बीआईएस के सभी कर्मचारियों/पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की सूचना हेतु

नोट : इस आदेश में जहां भी हिन्दी भाषा के माध्यम से किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होगा वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का आदेश मान्य होगा।

अनुलग्नक

[भा॰मा॰ ब्यूरो के पत्रशीर्ष (लेटर हैड) पर जारी किया जाए]

हमारा संदर्भ :………………….   दिनांक : ……………

श्री/श्रीमति……………………………………………………,(………..पद………..) कर्मचारी संख्या/पीपीओ संख्या ……………………………… को उनके आवेदन दिनांक …………………………. के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, उनके तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के संबंध में चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर॰एम॰पी॰) को ए.एम.ए. के तौर पर वर्ष ……………………. के लिए नियुक्त किया गया है :

I - नियुक्त ए.एम.ए. का विवरण			
क्रम सं.	डॉक्टर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	ए.एम.ए. का पता	
1.			
II - कर्मचारी/**पेंशनर** का सेवा विवरण			
1.	**वर्तमान वेतन/पेंशन** का विवरण एवं वार्ड पात्रता (सामान्य वार्ड / सेमी प्राइवेट वार्ड / प्राइवेट वार्ड) :	पे-बैंड में वेतन : पीबी-………/ ₹	
		ग्रेड पे : ₹	
		कुल बेसिक वेतन : ₹	
		वर्तमान पेंशन : ₹	
		वार्ड पात्रता :	
2.	वर्तमान निवास पता (गैर-सी॰जी॰एच॰एस॰)		
III - कर्मचारी/पेंशनर/ परिवार पेंशनर का पारिवारिक विवरण			
क्रम सं.	कर्मचारी/पेंशनर/ परिवार पेंशनर एवं आश्रित परिवार सदस्य का नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी/पेंशनर/ परिवार पेंशनर से संबंध
1.			**स्वयं**
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

परिवार के विवरण में उनके क्रम संख्या के अनुसार नीचे दिए गए बॉक्सों में परिवार सदस्यों के स्टम्प आकार के फोटोग्राफ चिपकाएँ

फोटोग्राफ (**स्वयं**)	**फोटोग्राफ** (आश्रित परिवार सदस्य)	**फोटोग्राफ** (आश्रित परिवार सदस्य)	**फोटोग्राफ** (आश्रित परिवार सदस्य)	**फोटोग्राफ** (आश्रित परिवार सदस्य)	**फोटोग्राफ** (आश्रित परिवार सदस्य)

2. इलाज पर हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति सी॰जी॰एच॰एस॰ पैकेज दरों/ सी॰एस॰एम॰ए॰ नियमों के तहत, सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत दरों पर दी जाएगी।

हस्ताक्षर

(जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद सहित मुहर)

श्री/श्रीमति………………………. (**संबन्धित विभागीय प्रमुख द्वारा**)

कर्मचारी/पी.पी.ओ. सं……………………

(…………………………………**पद**):

*भारतीय मानक ब्यूरो निदेशालय/क्षे॰का/शा॰का॰/उप-शा॰का॰/के॰प्र॰/एन॰आई॰टी॰एस॰/प्र॰

नई दिल्ली/ स्टेशन (जैसे बताया जाना हो)

प्रतिलिपि : (i) **संबन्धित ए.एम.ए.** - यह अनुरोध किया जाता है कि इलाज से पूर्व मरीज की पहचान सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

(ii) **निदेशक(लेखा)/निदेशक(वित्त)** - सूचनार्थ हेतु (केवल बीआईएस मुख्यालय/केंद्रीय प्रयोगशाला/ एनआईटीएस में तैनात कर्मचारियों के संबंध में)

हस्ताक्षर

(जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद सहित मुहर)